



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1947 (श०)
(सं० पटना 220) पटना, मंगलवार, 1 अप्रैल 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल 2025

एस०ओ० 64, दिनांक 1 अप्रैल 2025—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम सं०-XII) की धारा-13 की उप धारा (1) एवं धारा-14 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं०-46) की धारा-8 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि—

- (क) रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल की स्थानीय सीमाओं के भीतर उद्भूत मामलों को निपटाने के लिये रोहतास न्यायमंडल के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक न्यायालय अब बिक्रमगंज में बैठेगा।
- (ग) यह अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

(सं०सं०-ए०/एक्ट-04/2017/2179/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के सचिव, बिहार ।

1 अप्रैल 2025

एसओ 64, दिनांक 1 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-04/2017/2179/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के सचिव, बिहार ।

The 1st April 2025

S.O. 64 dated The 1st April 2025— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section-14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act No.-XII of 1887) and Sub-section (3) of Section-8 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act. No.-46 of 2023) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that-

- (a) One Court of District and Additional Sessions Judge of Rohtas Judgeship shall now hold its sittings at Bikramganj for the disposal of such cases as may arise within the local limits of Bikramganj Sub-Division of Rohtas District.
- (c) This Notification shall come into force with effect from the 04th April, 2025.

(File No.-A/Act-04/2017/2179/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

ANJANI KUMAR SINGH,*Secretary to the Government of Bihar.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 220-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1947 (श0)
(सं0 पटना 223) पटना, वृहस्पतिवार, 3 अप्रील 2025

विधि विभाग

अधिसूचना
(शुद्धि-पत्र)

3 अप्रील 2025

एस0ओ0 66 दिनांक 3 अप्रील, 2025—विभागीय अधिसूचना सं0-2179/जे0 दिनांक-01.04.2025 सह-पठित बिहार गजट सं0-220, पटना मंगलवार, दिनांक-01.04.2025 (एस0ओ0-64 दिनांक-01.04.2025) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में अंकित कंडिका-(ग) को (ख) पढ़ा जाय, तदनुसार इसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में अंकित कंडिका-(c) को (b) पढ़ा जाए।

2. उक्त पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-2179/जे0 दिनांक-01.04.2025 सह-पठित बिहार गजट सं0-220, पटना मंगलवार, दिनांक-01.04.2025 (एस0ओ0-64 दिनांक-01.04.2025) को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-04/2017-2214/जे0),

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के सचिव, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 223-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>